212/11

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 16/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। ....**प्रार्थी**

बनाम

श्री कैलाश माली पुत्र श्री उगमा माली
फर्म मालिक भोलेश्वर मिष्ठान भंडार, नागोला
बस स्टेण्ड नागोला तहसील भिनाय जिला केकडी

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री मुकेश बुगालिया, प्रवर्तन निरीक्षक – पैरोकार सरकार

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2024 को विभागीय निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल मैसर्स भोलेश्वर मिष्ठान भंडार, नागोला बस स्टेण्ड नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर पहूँचे। जांच दल में श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, जांच करने पर मौके पर 01 घरेलू गैस, रबर पाईप एवं रेगुलेटर द्वारा एक लोहे की भट्टी से जुडा हुवा मिला तथा उस पर कचौरी तैयार की जा रही थी उक्त मिष्ठांन भंडार के परिसर की जांच करने पर एक घरेलु गैस सिलेण्डर कम्पनी का ओर रखा पाया गया मौके पर उपस्थित फर्म मालिक श्री कैलाश माली से उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक कार्य में उपयोग लिये जाने के सबंध में पूछताछ पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का नमकीन कचौरी आदि तैयार करने में काम में लिया जाना बताया गया। मौके पर कैलाश माली पुत्र श्री उगमा माली ने घरेलु गैस सिलेण्डा का व्यवसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त 14.2 किलोग्राम गैस क्षमता के कुल 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस मार्का, एक लोहे की भट्टी, रेग्युलेटर एवं रबर पाईप जब्त सरकार किया जोकर मौके पर ही मैसर्स नागोला इण्डेन गैस सर्विस नागोला के मैनेजर श्री महावीर सिंह पुत्र श्री चतुर्भुज सिंह को बुलवाकर तौल कार्यवाही करवाकर अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी में दिया गया । अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का गैस रिफलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)सी एवं 7(1) सी का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	497865 एस	IOCL	21.00	15.500	05.500
3	96500	IOCL	27.00	17.400	9.600

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस मार्का, एक लोहे की भट्टी, रेग्युलेटर एवं रबर पाईप को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक दिनांक 26.3.2025 को उपस्थित आये । जिन्हें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया । दिनांक 23.7.2025, 27.8.2025, 24.9.2025को अंतिम मौका दिया जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया जाकर पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पेरोकार सरकार को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। जब्तशुद्वा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस मार्का, एक लोहे की भट्टी, रेग्युलेटर एवं रबर पाईप पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का गैस रिफलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)सी एवं 7(1) सी का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुद्वा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस मार्का, एक लोहे की भट्टी, रेग्युलेटर एवं रबर पाईप 15.100 किग्रा एलपीजी को राजसात फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.09.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुद्वा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस मार्का, एक लोहे की भट्टी, रेग्युलेटर एवं रबर पाईप 15.100 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर